कोर्ट फी INDIA भारत दो रुपये TWO RUPEES Rs.2 ... TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2018 पुनरीक्षण

1. जीवनलाल पुत्र स्व. श्री रामबहोरी द्विवेदी
2. आनंदकर द्विवेदी पुत्र श्री जीवनलाल द्विवेदी

दोनों निवासी ग्राम बाबूपुर फुटौधा तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

कमलेश सिंह पुत्र स्व. श्री बंशपकाश सिंह निवासी ग्राम बाबूपुर तह. रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म.प्र.) द्वारा प्र.क्रं. 863/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 7.6.18 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ अपीली न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, अनावेदक ने तहसीलदार रघुराज नगर के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन दिया कि आवेदक आराजी नं. 555/15ख रकवा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3712/2018/सतना/भू.रा.

जीवनलाल विरूद्ध कमलेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-06-2018	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-06-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा दिया गया आदेश निम्नानुसार है । उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य न होने से यथावत रखा जाता है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । सदस्य 27.6.18	
रीडर		